



## 15वें वित्तीत आयोग की अंतर्रामि रपोर्ट

इस Editorial में The Hindu, The Indian Express, Business Line आदि में प्रकाशित लेखों का विश्लेषण किया गया है। इस लेख में 15वें वित्तीत आयोग की हालती अंतर्रामि रपोर्ट और वित्तीत आयोग की भूमिका की चर्चा की गई है। आवश्यकतानुसार, यथास्थान टीम दृष्टि के इनपुट भी शामिल किये गए हैं।

### संदर्भ

भारतीय संविधान की संघीय वयवस्था इसकी प्रमुख विशेषताओं में से एक है, जो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तितथा कार्यों के विभाजन की अनुमति देती है और इसी आधार पर कराधान की शक्तियों को भी केंद्र एवं राज्यों के बीच विभाजित किया जाता है। केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीत विभाजन को राजकोषीय संघवाद के रूप में भी परिभाषित किया जाता है तथा वित्तीत आयोग इस संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ज्ञात हो कि भारतीय संविधान में इस बात की परिकल्पना की गई है कि वित्तीत आयोग देश के राजकोषीय संघवाद में संतुलन की भूमिका निभाएगा। हाल ही में 15वें वित्तीत आयोग ने संसद के समक्ष अपनी अंतर्रामि रपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व के विभाजन का विस्तृत विश्लेषण कर विभिन्न सफिरशिं की गई है।

## 15वें वित्तीत आयोग की अंतर्रामि रपोर्ट

- एन.के. सहि की अध्यक्षता में गठित 15वें वित्तीत आयोग ने अपनी अंतर्रामि रपोर्ट में कमोबेश पूरववर्ती आयोग (14वें वित्तीत आयोग) की सफिरशिं को संरक्षित रखा है। आयोग ने विभाजन योग्य राजस्व में वित्तीत वर्ष 2020-21 हेतु राज्यों के लिये 41 प्रतशित हस्सेदारी की सफिरशि की है, जो कि अब तक 42 प्रतशित थी।
- वित्तीत आयोग के अनुसार, राज्यों की हस्सेदारी में हो रही कटौती साधारणतया पूरववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य के हस्से के बराबर है, जो कि 0.85 प्रतशित थी।
- केंद्र की हस्सेदारी में बढ़ोतारी का मुख्य कारण नवगठित केंद्रशासित प्रदेशों (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख) की सुरक्षा तथा अन्य आवश्यकताओं की पूरतीकरना है।
- ज्ञात हो कि 15वें वित्तीत आयोग के विचारार्थ विषयों में रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये केंद्र द्वारा की गई धन राशि की मांग पर विचार करना भी शामिल था। इस संदर्भ में आयोग विशेषज्ञों की एक समिति के गठन पर विचार कर रहा है।
  - वित्तीत आयोग द्वारा यह कार्य विभाजन योग्य हस्से की गणना से पूरव सकल कर राजस्व से एक अलग कोष बनाकर किया जा सकता है, किन्तु ऐसा करने से राज्यों के हस्से के राजस्व में कमी हो सकती है।
- **अन्य सफिरशिं**
  - आयोग ने कुशल सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली का वैधानिक ढाँचा प्रदान करने के लिये कानून का मसौदा तैयार करने हेतु एक विशेषज्ञ समूह के गठन की सफिरशि की है। आयोग का मानना है कि हिमांशु सरकार के सभी स्तरों पर बजट, लेखांकन और अंकेक्षण हेतु मानक प्रदान करने वाले एक वैधानिक राजकोषीय ढाँचे की आवश्यकता है।
  - वित्तीत वर्ष 2018-19 में राज्य सरकारों और केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त कुल राजस्व देश की GDP का लगभग 17.5 प्रतशित था। आयोग का विचार है कि देश का वास्तविक कर राजस्व, अनुमानित कर राजस्व स्तर से काफी कम है। इसके अलावा 1990 के दशक की शुरुआत से अब तक भारत की कर क्षमता काफी हद तक अपरिवर्तित रही है। इस संदर्भ में आयोग ने 3 प्रमुख सफिरशिं दी हैं: (1) कर आधार को व्यापक बनाना (2) कर की दरों को सरल बनाना (3) सरकार के सभी स्तरों पर कर प्रशासन की क्षमता और विशेषज्ञता को बढ़ाना।
  - वित्तीत आयोग ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये स्थानीय निकायों को अनुदान के रूप में 90,000 करोड़ रुपए देने की सफिरशि की है, जो कि अनुमानित विभाजन योग्य राजस्व का 4.31 प्रतशित है।
  - इसके अतिरिक्त आयोग ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) के क्रयिन्वयन को लेकर रफिंड में देरी और पूरवानुमान की अपेक्षा कर संग्रह में कमी जैसी कुछ चुनौतियों का भी उल्लेख किया है।

## जनसंख्या के रूप में मापदंड की आलोचना

दक्षिणी राज्यों की सरकारों ने आयोग द्वारा उपयोग किया जाने वाले जनसंख्या मापदंड की आलोचना की है। 14वें वित्तीत आयोग ने राज्यों के हस्से की गणना के लिये वर्ष 1971 और वर्ष 2011 के जनगणना आँकड़ों का उपयोग किया था और 2011 की अपेक्षा 1971 के आँकड़ों को अधिक महत्व दिया था। 14वें वित्तीत आयोग के विपरीत 15वें वित्तीत आयोग ने सरिक वर्ष 2011 के जनगणना आँकड़ों का प्रयोग किया है। आयोग ने तरक्क दिया है कि मौजूदा राजकोषीय

समीकरण को देखते हुए यह आवश्यक था कि निवीन जनगणना औंकड़ों का प्रयोग किया जाए। आलोचना करने वाले राज्यों का मानना है कि वर्ष 2011 के जनगणना औंकड़ों के उपयोग से उत्तर प्रदेश और बहिर जैसी बड़ी आबादी वाले राज्यों को ज़्यादा हसिसा मिले जाएगा, जबकि किम प्रजनन दर वाले छोटे राज्यों के हसिसे में काफी कम राजस्व आएगा। हांडी भाषी उत्तरी राज्यों (बहिर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखण्ड) की संयुक्त जनसंख्या 47.8 करोड़ है, जो कि देश की कुल आबादी का 39.48 प्रतिशत है। इस क्षेत्र के करदाताओं की कर राजस्व में मात्र 13.89 प्रतिशत का योगदान है, जबकि उन्हें कुल राजस्व में से 45.17 प्रतिशत हसिसा प्रदान किया जाता है। दूसरी ओर अंधर प्रदेश, केरल, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों को कम आबादी के कारण कुल राजस्व में भी काफी कम हसिसा मिलता है, जबकि देश की कुल राजस्व प्राप्ति में उनका योगदान काफी अधिक रहता है।

## वित्त आयोग

- संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि संविधान के प्रारंभ से दो वर्ष के भीतर और उसके बाद प्रत्येक पाँच वर्ष की समाप्तिपर या उससे पहले की अवधि में, जैसे राष्ट्रपति द्वारा आवश्यक समझा जाता है, एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा।
- इस व्यवस्था को देखते हुए पछिले वित्त आयोग के गठन की तारीख के पाँच वर्षों के भीतर अगले वित्त आयोग का गठन हो जाता है, जो एक अर्द्धन्यायिक एवं सलाहकारी निकाय है।

## 15वाँ वित्त आयोग

- केंद्रीय मंत्रमिंडल ने 22 नवंबर, 2017 को 15वें वित्त आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान की थी और 27 नवंबर, 2017 को एन.के. सहि को 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।
  - एन.के. सहि भारत सरकार के पूर्व सचिव एवं वर्ष 2008-14 तक बहिर से राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं।
- 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल वर्ष 2020-25 तक है।

## वित्त आयोग की आवश्यकता क्यों?

- केंद्र कर राजस्व का अधिकांश हसिसा एकत्र करता है और कुछ निश्चयित करते के संग्रह के माध्यम से बड़े पैमाने पर अरथव्यवस्था में योगदान देता है।
- स्थानीय मुद्दों और ज़रूरतों को निकटता से जानने के कारण राज्यों की यह ज़मिमेदारी है कि वे अपने क्षेत्रों में लोकहति का ध्यान रखें।
- हालाँकि इन सभी कारणों के चलते कभी-कभी राज्य का खर्च उनको प्राप्त होने वाले राजस्व से कहीं अधिक हो जाता है।
- इसके अलावा व्यापक क्षेत्रीय असमानताओं के कारण कुछ राज्य दूसरों की तुलना में प्रयाप्त संसाधनों का लाभ उठाने में असमर्थ हैं। इन असंतुलनों को दूर करने के लिये वित्त आयोग राज्यों के साथ साझा किया जाने वाले केंद्रीय निधियों की सीमा नियमिती करने की सफिराशि करता है।

## वित्त आयोग के कार्य

- भारत के राष्ट्रपति को यह सफिराशि करना कि संघ एवं राज्यों के बीच करते की शुद्ध प्राप्तियों को कैसे वितरित किया जाए एवं राज्यों के बीच ऐसे आगमों का आवंटन कैसे किया जाए।
- यह नियन्य लेना कि अनुच्छेद 275 के तहत संचति निधियों से राज्यों को अनुदान/सहायता दिया जाना चाहिये या नहीं।
- राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सफिराशियों के आधार पर पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के संसाधनों की आपूर्ति हेतु राज्य की संचति निधियों संवरद्धन के लिये आवश्यक कदमों की सफिराशि करना।
- राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त अन्य कोई विशिष्ट नियमित, जो देश के सुदृढ़ वित्त के हति में हो।

**प्रश्न:** 'वित्त आयोग राजकोषीय संघवाद में केंद्र और राज्य के मध्य संतुलन की भूमिका अदा करता है।' चर्चा कीजिये।